रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1417] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2008/आश्विन 15, 1930
No. 1417] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2008/ASVINA 15, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2008

का.आ. 2422(अ).—लोक सभा अध्यक्ष को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 को निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :–

"श्री प्रभुनाथ सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) और नेता, जनता दल (यूनाइटिड) लोक सभा, 45(1), संसद भवन, नई दिल्ली–110001

याची

बनाम

श्री राम स्वरूप प्रसाद, संसद सदस्य (लोक सभा), 184, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली–110011, बिहार का नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

प्रत्यर्थी

के मामले में

आदेश

1. यह आवेदन श्री प्रभुनाथ सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा और नेता, जनता दल (यूनाइटिड), लोक सभा द्वारा श्री राम स्वरूप प्रसाद, संसद सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसमें विश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस पर सभा में 21 और 22 जुलाई, 2008 को चर्चा की गई थी, जनता दल (यूनाइटिड) के मुख्य सचेतक द्वारा उन्हें जारी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके अपना मत देने के कारण भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन प्रत्यर्थी को वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने के लिए निरर्ह करने की प्रार्थना की गई है।

2. याची ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी, जो कि लोक सभा का सदस्य है, वर्ष 2006 में हुए उप-चुनाव में बिहार के नालन्दा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से 'जद (यू) टिकट' पर जनता दल (यूनाइटिड) [जिसे इसमें इसके पश्चात् जद (यू) कहा गया है] के प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। यह भी बताया गया है कि प्रत्यर्थी का नाम लोक सभा द्वारा प्रकाशित जद (यू) सदस्यों की सूची में जद (यू) के सदस्य के रूप में प्रकाशित है।

3. जैसा कि पहले बताया गया है, याची के अनुसार प्रत्यर्थी को जद (यू) के अन्य सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मत देने के लिए 21 और 22 जुलाई, 2008 को सभा में उपस्थित रहने के लिए तीन पंक्तियों का व्हिप जारी किया गया था।

4. याची का यह तर्क है कि जिस दल के टिकट पर वह लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए उस दल द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद, प्रत्यर्थी ने दल के व्हिप और निदेश का उल्लंघन करते हुए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। याचिका में उल्लिखित तीन पंक्ति व्हिप तत्संबंधी पैराग्राफ 3 में स्पष्ट किया गया है।

5. याचिका के उत्तर में प्रत्यर्थी ने इससे इन्कार किया कि याचिका में कथित रूप से उल्लिखित कोई व्हिप जारी किया गया था या प्रत्यर्थी को दिया गया था, हालांकि प्रत्यर्थी विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय 21 और 22 जुलाई, 2008 को लोक सभा में उपस्थित था।

6. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि याची ने प्रत्यर्थी को व्हिप दिए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है और यह कि प्रत्यर्थी को व्हिप जारी करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया।

7. प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया है कि किसी भी प्रकार के व्हिप के अभाव में, उसने संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया है और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है और उसने आगे यह भी तर्क दिया है कि जहाँ तक उसके मत के प्रयोग का संबंध है, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं थी ।

8. मैंने 16 सितम्बर, 2008 और 26 सितम्बर, 2008 को भी इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की थी । 16 सितम्बर, 2008 को हुई सुनवाई में याची व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल हुआ किंतु उसने निवेदन किया कि उसने स्वयं निजी तौर पर व्हिप नहीं दिया था और उसे निजी तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं थी । तथापि उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के उद्देश्य से सुनवाई को 26 सितम्बर, 2008 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जब याची के साथ जनता दल (यूनाइटिड) के मुख्य सचेतक श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" भी उपस्थित थे । दोबारा शुरू हुई सुनवाई में श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" ने कहा कि व्हिप प्रत्यर्थी के पते पर भेजा गया था और जिसे श्री राहुल कुमार नाम के एक व्यक्ति ने प्राप्त किया, जिसके हस्ताक्षर व्हिप प्राप्त करने के टोकन के रूप में मौजूद हैं । इसलिए, यह कहना सही नहीं था कि प्रत्यर्थी को व्हिप नहीं मिला । हालांकि श्री राहुल कुमार के हस्ताक्षर के सामने कोई तारीख नहीं है, किंतु दस्तावेज पर 21 जुलाई, 2008 की तारीख डली हुई थी । इसलिए, याची के अनुसार व्हिप उसी तारीख को प्राप्त किया गया था, क्योंकि प्राप्ति की कोई अन्य तारीख नहीं दर्शाई गई है । याची की ओर से दाखिल किए गए दस्तावेज की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है ।

9. प्रत्यर्थी के अनुसार उसे व्हिप नहीं दिया गया था । उसने यह भी निवेदन किया कि यद्यपि वह 21 तथा 22 जुलाई, 2008 को सभा में उपस्थित था तथापि, उसके निर्वाचित होने के समय से उसके तथा उसकी पार्टी के मुख्य सचेतक के बीच कभी भी संपर्क नहीं हुआ, मुख्य सचेतक ने न तो उससे कभी कोई संपर्क किया और न ही मतदान करने के बारे में अथवा अन्यथा उससे कुछ कहा । तथापि, प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया कि प्रस्ताव पर चर्चा से कुछ दिन पूर्व उसकी तथा पार्टी के नेता श्री प्रभुनाथ सिंह के बीच बैठक हुई थी, लेकिन उसके अनुसार व्हिप के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि याची ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि बैठक यह सुनिश्चित करने के लिए हुई थी कि विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में क्या रुख अपनाया जा सकता है ।

10. डॉ. महानन्द प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद् एवं अन्य (2004) 8 एस.सी.सी. 747 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अधीन "सभा के सदस्य की निरर्हता के मुद्दे पर निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार सभा के सभापति या अध्यक्ष में निहित है। यह उल्लेखनीय है कि दसवीं अनुसूची में सभा के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। उनकी भूमिका केवल संबद्ध तथ्यों को सुनिश्चित करने तक ही सीमित है। एक बार एकत्रित अथवा प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रकट होने पर कि सभा के किसी सदस्य ने कोई ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (1), (2) या (3) की परिधि में आता है, निरर्हता लागू होगी और सभा के सभापति या अध्यक्ष को इस आशय का निर्णय लेना होगा।"

11. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, अध्यक्ष के रूप में मेरा प्राथमिक कर्तव्य संगत तथ्यों को सुनिश्चित करना है। अभिवचनों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के रिकार्डों से तथा इन पर एवं मेरे समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर समुचित रूप से विचार करने तथा इस तथ्य पर कि प्रत्यर्थी ने दिल्ली में अपने आवास पर दिनांक 21 जुलाई, 2008 के व्हिप को पावती पर अपने पुत्र श्री राहुल कुमार के हस्ताक्षर को स्वीकार किया है, विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तथा घटनाओं के सत्याभास पर विचार करने के पश्चात् मैं यह विनिर्णय देना चाहता हूँ कि प्रत्यर्थी को सभा में उपस्थित रहने और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने तथा विपक्ष में मतदान करने के लिए निदेश जारी किया गया था।

12. इस प्रकार मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनी पार्टी के निदेश के विरुद्ध मतदान किया जाना निरर्हता संबंधी संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) की परिधि में आता है।

13. मैं यह निर्णय देता हूँ कि बिहार के नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री राम स्वरूप प्रसाद 22 जुलाई, 2008 को सभा में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के कारण भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) के अंतर्गत निरर्ह हो गए हैं।

14. इन परिस्थितियों में प्रत्यर्थी 14वीं लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो गया है और यह घोषित किया जाता है कि उसका स्थान रिक्त हो गया है।

ह./-

नई दिल्ली, सोमनाथ चटर्जी

दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 अध्यक्ष, लोक सभा"

[सं. 46/23/2008/दी]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2008

S.O. 2422(E).—The following Decision dated 3rd October, 2008 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"In the matter of :

Shri Prabhunath Singh, Member of Parliament (Lok Sabha) and Leader, Janata Dal (United) Lok Sabha, of 45 (1), Parliament House, New Delhi - 110001.

—Petitioner

Versus

Shri Ram Swaroop Prasad, Member of Parliament, (Lok Sabha), 184, North Avenue, New Delhi-110011, Nalanda Parliamentary Constituency of Bihar.

—Respondent

Order

1. This is an application filed by Shri Prabhunath Singh, Member of Parliament, Lok Sabha and Leader, Janata Dal (United), Lok Sabha against Shri Ram Swaroop Prasad, MP, Lok Sabha praying for the disqualification of the Respondent from being and continuing as a Member of the present Lok Sabha under the Tenth Schedule of the Constitution of India, for having exercising his vote in violation of the Party Whip issued on him by the Chief Whip of Janata Dal (United), during the Motion for Vote of Confidence which was discussed in the House on 21 and 22 July, 2008.

2. It is contended by the Petitioner that the Resondent, who is a Member of Lok Sabha, has been elected as a candidate of Janata Dal (United) (hereinafter referred to as JD(U)) from Nalanda Lok Sabha Constituency of Bihar in the by-election held in 2006 on the "JD(U) Ticket". It is further stated that the name of the Respondent appears in the list of JD(U) Members, published by the Lok Sabha, as belonging to JD(U).

3. According to the Petitioner, a three-line whip was issued on the Respondent along with other Members of JD(U) to be present in the House on 21 and 22 July, 2008 and for voting against the Motion of Confidence in the Union Council of Ministers moved by the Prime Minister, as aforesaid.

4. It is the contention of the Petitioner that in spite of the Whip issued by the Party on whose ticket he was elected to Lok Sabha, the Respondent voted in favour of the Motion of Confidence violating the Party Whip and Direction. The three line Whip referred to in the petition is set out in the paragraph 3 thereof.

5. The Respondent in his reply to the petition had denied that any Whip as alleged in the petition was issued or served on the Respondent though he was present in the Lok Sabha on 21 and 22 July, 2008 while the Vote of Confidence was sought.

6. It has further been contended that the Petitioner had not produced any evidence regarding service of the Whip on the Respondent and that no attempt whatsoever was made even to serve the Whip on him.

7. The Respondent has contended that in the absence of any Whip, he has exercised his right of freedom of speech under Article 105(2) of the Constitution and has voted in favour of the Motion and he has further contended that there was no legal impediment in so far the exercise of his vote is concerned.

8. I held a personal hearing in the matter on 16 September, 2008 and also on 26 September, 2008. At the hearing held on 16 September, 2008, the Petitioner attended the hearing in person but submitted that he himself personally had not served the Whip and he had no personal knowledge of the same. However, to enable him to produce evidence, the hearing was adjourned till 26 September, 2008 when along with the Petitioner, Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan', the Chief Whip of the JD(U), was also present. Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan' stated on the resumed hearing that the Whip had been sent to the residence of the Respondent and was received by one Shri Rahul Kumar, whose signature appears in token of having received the same. Therefore, it was not correct to say that the Respondent had not received the Whip. Though no date appears against the signature of Shri Rahul Kumar, but the document was dated 21 July, 2008. Therefore, according to the Petitioner, the same was received on the same date as no other date of receipt has been mentioned. A copy of the document, which has been filed on behalf of the Petitioner, has been kept on record.

9. According to the Respondent, the Whip was not served on him. He has further submitted that there had been no contact between him and the Chief Whip of his Party since the former's election, and at no point of time, although he was present in the House on 21 and 22 July, 2008, the Chief Whip ever approached him nor he spoke to him about the vote or otherwise. The Respondent however admitted that there was a meeting between him and the Leader of the Party, Shri Prabhunath Singh a few days before the Motion was taken up but according to him there was no discussion about the Whip as the Petitioner himself has admitted that meeting took place to ascertain as to what stand could be taken on the debate on the Motion of Confidence.

10. In the case of Dr. Mahachandra Prasad Singh v. Chairman), Bihar Legislative Council & Ors. (2004) 8 SCC 747, the Supreme Court has been pleased to observe that under the Tenth Schedule, "the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraphs (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect".

11. As the Speaker, my primary obligation is to ascertain the relevant facts as has been held by the hon. Supreme Court. From the pleadings and records of the personal hearing and after giving my anxious consideration to the same and the materials before me, and considering the fact that the Respondent has admitted the signature of his son, Shri Rahul Kumar, on the receipt of the Whip

dated 21 July, 2008 at his residence in Delhi during the discussion on the Motion of Confidence and on the plausibility of the events, I am inclined to hold that the Respondent had been issued direction to be present in the House to take part in the discussion and to vote against the Motion of Confidence in the Union Council of Ministers.

12. Thus, I conclude that the Respondent having voted contrary to the direction of his Party comes within the purview of para 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution attracting disqualification.

13. I hold that the Respondent, Shri Ram Swaroop Prasad, an elected Member of Lok Sabha from Nalanda Parliamentary Constituency of Bihar, has incurred disqualification under para 2(1)(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India for the reason of his voting in favour of the Confidence Motion moved by Hon. Prime Minister at the voting held in the House on 22 July, 2008.

14. In the circumstances, the Respondent stands disqualified from continuing as a Member of the Fourteenth Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant.

Sd/-

NEW DELHI: SOMNATH CHATTERJEE

Dated the 3rd October, 2008 SPEAKER, LOK SABHA"

[No. 46/23/2008-T]

P. D. T. ACHARY, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.